"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 134] रायपुर, बुधवार, दिनांक 29 मई 2002—ज्येष्ठ 8, शक 1924

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-5-13/परिवहन/2002.—राज्य शासन, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 572/परिवहन विभाग/2001, दिनांक 11-9-2001 एवं क्र. 126/परिवहन/2002, दिनांक 2 फरवरी 2002 की निरंतरता में केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-108 के परंतुक के खण्ड (iii) के उद्देश्यों के लिये निम्नलिखित विशिष्ट व्यक्तियों को भी निम्नानुसार विनिर्दिष्ट करता है :—

शासकीय वाहनों के अग्रभाग पर लालबत्ती लगाने हेतु :—

1. महानिदेशक जेल

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक एफ-5-13/परिवहन/2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 29-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 29th May, 2002

NOTIFICATION

No. F-5-13/Transport/2002.—The State Government in continuation of this Department Notification number 572/Tr.D./2001, dated 11-9-2001 & No. 126/Tr. D./2002, dated 2nd February 2002, hereby specify the following person also for the purpose of clause (iii) of the provision to the rule-108 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989, namely :—

The use of red light on the top of Government vehicles—

1. Director General of prisons.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. K. VIJAYAVARGIYA, Principal Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.